

122



न्यायालय श्रीमान् ज्ञानेश्वर तांगर जिला सागर
समस्त राजस्व मण्डल उचालियर द्वेष सागर

R. 3467-^{१५}
1- पंकज पाट्ठि वीरेन्द्र आसपाल पुत्री सोहन राम

निवासी-वीरसाहरकर वाई बीना तह, बीना जि. सागर

2- अशोक कुमार बलद फूलचंद
निवासी-ग्रामीण

-----पुनरीक्षण कार्यगण

आमुल्ला लालिम विलद

सागर से रेनम
29-३-१५

को प्राप्त

1- सिया पाट्ठि बृजभान यादव

निवासी-ग्राम पन्थ तहसील बीना जिला-सागर

2- म. प्र. शासन

-----अनावेदक्षण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-५० म. प्र. भ. रा. सं. ५९ के अंतर्गत और

पुनरीक्षणकार्यगण:-

+ यह टिक, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार बीना के रा. प्र. क्र. ६०३/१२ वर्ष २०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १०६/२०१४ के से दूषित होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान् न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु प्रस्तुत है।

पुनरीक्षणकार्यगण प्रार्थी है:-

मेरा दाक तहसील बीना मे

कार्यालय दाक दूषन, सागर जम्मा,
सागर (जि. स.)

श्री. गहलूड बीना तहसील
प्राप्ति

१०६/२०१४

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3467—एक / 2014

जिला—सागर

पंकज व अन्य विरुद्ध सिया व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायब तहसीलदार बीना, जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 60 / अ—12 / 2013—2014 में पारित आदेश दिनांक 11—06—2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30—10—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>  	